Date: 13 **जुलाई** 2023

जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक

पाठ्यक्रम:प्रारम्भिक परीक्षा- जीएसटी
मुख्य परीक्षा-जीएस 2 / सरकारी नीतियां और जीएस 3 / भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे

सदर्भ-

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने हाल ही में अपनी 50वीं बैठक में कुछ वस्तुओं पर कर की दर को कम या स्पष्ट किया है।

जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की सिफारिशें: –

वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव:-

- 4 वस्तुओं – बिना पकाए, बिना तले और तैयार किए गए स्नैक पैलेट , मछली में घुलनशील पेस्ट , एलडी स्लैग को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बराबर, और नकली ज़री धागा – पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है

विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए दवाओं और भोजन के लिए छूट:

- दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति , 2021 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों के उपचार का समर्थन करने के लिए , परिषद ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने पर दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भोजन (एफएसएमपी) पर आईजीएसटी से छूट दी है। **व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने पर** डिनुटुक्सिमैब (क्वार्जिबा) दवा के लिए भी आईजीएसटी छूट दी जाती है।

कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर: –

- काउंसिल ने **ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो के मामले में पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर** 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया।

व्यापार को सुगम बनाने के उपायों पर सिफारिशें: –

- **जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना: प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण** के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए , परिषद ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों की सिफारिश की।

ईडी के तहत जीएसटी नेटवर्क:-

- कई राज्यों ने जीएसटी नेटवर्क को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रशासित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में लाने के बारे में चिंता जताई थी।

एसयूवी वाहनों के लिए परिवर्तन:

- अब तक, किसी वाहन को उच्च मुआवजा उपकर के साथ एसयूवी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चार शर्तों को पूरा करना पड़ता था।
- उन्हें आम तौर पर एक एसयूवी माना जाना था,
- चार मीटर से अधिक लंबे थे,
- 1500 सीसी या उससे अधिक का इंजन, और
- 170 मिमी की ग्राउंड क्लीयरेंस
- परिषद ने इस शर्त को खत्म करने का फैसला किया है कि वाहन को एसयूवी के रूप में लोकप्रिय रूप से देखा जाना चाहिए।
- परिषद ने स्पष्ट किया है कि **170 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस** बिना लादे वाहन **का होना चाहिए**।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)-

जीएसटी परिषद-

- यह **संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016** द्वारा पेश अनुच्छेद **279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है।**
- यह भारत में जीएसटी के संदर्भ के आधार पर किसी भी कानून या विनियमन को संशोधित करने , सामंजस्य स्थापित करने या प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
- इसे **एक संघीय निकाय के रूप में भी माना जाता** है जहां केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

कार्य:

- यह जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करता है।

संयोजन

- **अध्यक्ष:** केंद्रीय वित्त मंत्री।
- **सदस्य**: केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री।
- **केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद जीएसटी के लिए शासी और प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है।**

प्रमुख बिन्दु-

- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत **में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति** पर उपयोग किया जाने वाला **एक अप्रत्यक्ष कर है**।
- यह एक **मूल्य वर्धित कर है** जो घरेलू खपत के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।
- यह पूरे देश के लिए एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर के रूप **में 2017 में भारत में लॉन्च** किया गया था।
- यह एक **व्यापक, मल्टीस्टेज, गंतव्य आधारित कर है**–
- व्यापक है क्योंकि इसने कुछ राज्य करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया है।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

- यह उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है **और माल और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को** प्रेषित **किया** जाता है।

इसके तीन प्रकार-

- **केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला** सीजीएसटी
- **राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला** एसजीएसटी और
- **आईजीएसटी** एक कर है जो वस्तुओं और/ या सेवाओं की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- ये सभी कर केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं।

जीएसटी का महत्व:-

अनुपालन:-

- जीएसटी ने पिछले चार वर्षों में कई कराधान और कराधान बोझ को कम करके बेहतर कर अनुपालन प्राप्त करने में मदद की।

स्वचालित कर पारिस्थितिकी तंत्र:-

- इसने देश को एक स्वचालित अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमण करने में मदद की। इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन, ई-चालान तैयार करने से लेकर ई-वे बिल के माध्यम से माल की आवाजाही पर नज़र रखने तक – सब कुछ अब ऑनलाइन है।

ई-चालान और अधिक राजस्व:-

- ई-चालान प्रणाली ने नकली चालान को कम करने में मदद की। ऑनलाइन बिल जेनरेट करने के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप माल की आवाजाही आसान हो गई है और अधिकारियों के साथ बहुत कम विवाद हुए हैं। ई-इनवॉइस की शुरुआत के बाद , नवंबर 2020 से जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ा है , जो कई मौकों पर 1 लाख करोड़ रुपये के निशान को पार कर गया है।

रसद दक्षता, उत्पादन लागत में कटौती:-

- इस शासन की एक और बड़ी उपलब्धि यह तथ्य है कि 50% से अधिक रसद प्रयास और समय की बचत हुई है क्योंकि जीएसटी ने राज्य सीमा चौकियों पर कई चौकियों और परमिट को हटाना सुनिश्चित किया है।

कम लेनदेन लागत:-

- जीएसटी लागू होने के बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट में काफी कमी आई है। यह कमी उत्पादों के अंतरराज्यीय आंदोलन में एक बड़ी सफलता रही है, जिससे देश को व्यवसायों के लिए एकल राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का दावा करने की अनुमति मिलती है।

सहकारी संघवाद:-

- सीमा शुल्क पोर्टल जीएसटी पोर्टल से जुड़े हुए हैं, ताकि आयात पर क्रेडिट प्राप्त किया जा सके, जीएसटी परिषद का गठन किया जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्र-राज्य साझेदारी सुनिश्चित की जा सके। इसने सहकारी संघवाद को इसका प्रमुख हिस्सा सुनिश्चित किया।

व्यापार करने में आसानी:-

- पिछले चार वर्षों में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। जीएसटी लागू होने से पहले 2016 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 130 थी। 2020 में, भारत सूची में 63 वें स्थान पर था।

स्वतंत्रता:-

- चूंकि जीएसटी दर एक विशेष आपूर्ति के लिए देश भर में समान है , इसलिए संगठित क्षेत्रों में व्यापारियों और निर्माताओं ने बेहतर मूल्य निर्धारण के साथ सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं , आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को चुनने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो।

बेहतर प्रतिस्पर्धा:-

- जीएसटी ने छिपे हुए और एम्बेडेड करों को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में सुधार किया है।

आगे का रास्ता–

- भारत में, यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि और सहकारी संघवाद में एक अनूठा प्रयोग रहा है।
- इसने देश को एक स्वचालित अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमण करने में मदद की।
- जीएसटी ने भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाकर भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को एक बड़ा बढ़ावा दिया।

स्रोत: पीआईबी

Rajiv Pandey

भारतीय निर्वाचन आयोग

पाठ्यक्रम: प्रारम्भिक परीक्षा- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)
मुख्य परीक्षा-जीएस 2 / राजव्यवस्था एवं शासन

संदर्भ-

- हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय लेखाओं को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रमुख बिन्दु-

- नया वेब-पोर्टल सभी राजनीतिक दलों को ऑनलाइन योगदान (चंदा) रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित वार्षिक विवरण और चुनाव के दौरान किए गए व्यय के विवरण देता है।
- इससे राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार होगा। यह ECI की 3C (क्लीन-अप, क्रैक-डाउन और कंप्लायंस) रणनीति में से एक है।
- इसके अलावा, यह भौतिक रूप से (हार्डकॉपी) रिपोर्ट दाखिल करने में राजनीतिक दलों को मदद करेगा। साथ ही , वित्तीय विवरणों को समय पर और निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
- 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के प्रावधानों के अनुसार, राजनीतिक दलों को ECI को वित्तीय विवरण देना होगा।

राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों है?

- इससे राजनीति में काले धन का उपयोग कम हो जाएगा।
- महिलाओं और अन्य वंचित समूहों की चुनावों में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- दलों की स्वतंत्रता को बड़े दानदाताओं और कॉरपोरेट्स के अनुचित प्रभाव से बचाया जाएगा।

राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे–

- RPA, 1951 की धारा 77 और चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के तहत केवल उम्मीदवारों के लिए ही चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है । राजनीतिक दल के खर्च के मामले में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- कॉरपोरेट चंदे पर कोई सीमा निर्धारित नहीं होने से क्रोनी पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त होता है।

क्रोनी पूंजीवाद:-

- ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यवसाय की सफलता व्यवसायियों और सरकारी अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ पर निर्भर करती है। चुनावी बॉण्ड की अपारदर्शी प्रकृति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को हानि पहुंचा सकती है।

भारतीय निर्वाचन आयोग:-

- भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं , एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो संघीय और राज्य चुनावों को संचालित करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस , 25 जनवरी, 1950 को संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना की। नई दिल्ली में आयोग का कार्यालय है।
- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करता है।
- राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का निर्माण किया है।

स्रोत – द हिन्दू

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com